राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प. 4 (5) उद्योग/ग्रुप–2/2011 जयपुर, दिनांक 01/10/2018

–:आदेश:–

महात्मा गाँधी की 150वीं जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में राज्य में खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विशेष रिबेट दिये जाने हेतु सूती, ऊनी खादी, रेशमी खादी, पोली वस्त्र एवं पोलीवूल पर 5 प्रतिशत की दर से राज्य सरकार द्वारा वर्षपर्यन्त (दिनांक 02.10.2018 से 01.10.2019 तक) रिबेट दिये जाने की राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगी:–**

1. खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पंजीकृत खादी संस्था/समिति द्वारा संचालित बिक्री भण्डार/उत्पादन केन्द्र/प्रदर्शनियों को रिबेट देय होगी।
2. खादी संस्था/समितियों को उपरोक्त छूट उसी बिक्री पर देय होगी, जो खादी आयोग या राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से खादी का उत्पादन, व्यापार या बिक्री को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय व तकनीकी सहायता प्राप्ति के लिए सम्बद्ध है।
3. खादी बोर्ड द्वारा निर्धारित फुटकर बिक्री लक्ष्यांको की सीमा तक ही एवं प्री आडिट के बाद रिबेट का पुनर्भरण देय होगा।
4. खादी निर्यात एवं सरकारी बिक्री पर रिबेट देय नहीं होगी।
5. प्रत्येक संस्था छूट अवधि के दौरान दी गई मासिक रिबेट की संकलित सूचना प्रत्येक माह की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् खादी बोर्ड को प्रेषित/प्रस्तुत की जावेगी।
6. बिक्री की गई राशि को आयोग के नियमानुसार प्रतिदिन सम्बन्धित बैंक में जमा करवाना अनिवार्य है।
7. वित्तीय वर्ष 2018–19 में खादी वस्त्रो की रिबेट हेतु राशि रूपये 2.50 करोड का बजट प्रावधान स्वीकृत है। खादी वस्त्रो पर रिबेट 02 अक्टूबर 2018 से प्रारम्भ की जायेगी। इस वित्तीय वर्ष में फरवरी 2019 तक के रिबेट क्लेमो का ही भुगतान किया जायेगा जिसके लिये विद्यमान बजट प्रावधान पर्याप्त है। बोर्ड वर्ष 2019–20 के लिये खादी वस्त्रो की बिक्री पर रिबेट दिये जाने हेतु राशि की गणना करते हुये आय व्ययक अनुमान 2019–20 में यथासमय बजट प्रावधान कराया जाना सुनिश्चित करेगा।
8. बोर्ड वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु विपणन विकास सहायता योजना के अन्तर्गत संस्थाओं को उत्पादन पर सहायता दिये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार के खादी आयोग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेगा।
9. Khadi Board is advised to take necessary steps as per direction given in BFC 2017-18 at the earliest.

बोर्ड रिबेट अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् संस्थाओं से प्राप्त रिबेट राशि के अंकेक्षित क्लेम्स आयुक्त, उद्योग विभाग के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या– 101805466 दिनांक 28.09.2018 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. समित शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, एम.एस.एम.ई.
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर।
8. संयुक्त सलाहकार (वित्त), उद्योग (पी.पी.सी.) विभाग।
9. वित्तीय सलाहकार, आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव

# राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
गोकुलभाई भट्ट स्मृति भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर–302017
Ph.No.0141-2705197-200, Fax No.0141-2706510, 2700718,
Email : khadijpr@yahoo.co.in

क्रमांकः/के.वी.बी.एफ/आडिट/ 346 दिनांकः–1.10.2018

प्रतिलिपीः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव लघु उद्योग एंव खादी ग्रामोद्योग, राजस्थान– सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप–2) राजस्थान–सरकार, जयपुर।
4. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 3–इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम) मुम्बई–56
5. निदेशक (प्रचार–प्रसार) बिक्री/विकास,खादी और ग्रामोद्योंग आयोग, 3–इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम) मुम्बई–56
6. निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जयपुर/बीकानेर।
7. निजी सहायक, अध्यक्ष/सचिव/वित्त सलाहकार, खादी बोर्ड, जयपुर।
8. बोर्ड के समस्त अधिकारीगण.....।
9. सम्भाग अधिकारी (खादी), सम्भाग कार्यालय,जिला उद्योग केन्द्र.....।
10. समस्त प्रमाणित खादी संस्था/समिति/व्यवसायिक केन्दों को भेजकर सूचित किया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य–सरकार से प्राप्त राशि की सीमा एंव उक्त निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत ही रिबेट राशि का पुनर्भरण किया जावेगा। निर्धारित बजट सीमा से अधिक क्लेम्स प्राप्त होने पर अधिक राशि की कटौति संस्था/समितियों के क्लेम्स से की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी संस्था/समितियों की होगी।

(अल्पा चौधरी)
सचिव